न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 180/2013 **दायरा दिनांक : 26.08.2013**

उनवान

गौरी लाल वल्द मायाराम, जाति लोधा, निवासी कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— चन्दाबाई पत्नी रंगलाल, जाति लोधा, निवासी कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— बीरम वल्द हीरालाल, जाति लोधा, निवासी कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— कैलाबाई पुत्री हीरालाल, पत्नी कालूलाल लोधा, निवासी सारथल, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— मांगीलाल वल्द खेमा लोधा, जाति लोधा, निवासी कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— रतनबाई पुत्री खेमा जोजे मांगीलाल लोधा, निवासी पाटडीखेडा

6— गुलाबबाई बेवा खेमा लोधा, जाति लोधा, निवासी कचनारी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— बीरम वल्द कन्हींराम लोधा, जाति लोधा, निवासी पाटडीखेडा, ना. बा. जरिये वलिया माता घीसी बाई बेवा कन्हींराम लोधा, जाति लोधा, निवासी गोरधनपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— घीसी बाई बेवा कन्हींराम लोधा, जाति लोधा, निवासी गोरधनपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा

10— शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय दिनांक :13.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 90/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 चन्दा बाई ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है और यह कथन किया कि ग्राम कचनारिया, तहसील अकलेरा के माल में नयी खतौनी संख्या 20 की खसरा नम्बर 438 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 441 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 442 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, कुल 3 किता की 15 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादिनी के शामलाती खाते में स्थित है । वादिनी ने सहखातेदार वीरम से उसके हिस्से की आराजी में से 1/8 भाग क्रय किया था जो नामान्तरकरण संख्या 399 से वादिनी के खाते में दर्ज हुई है ।

शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन लडाई झगडा होता है एवं हांकने जोतने में कठिनाई आती है । अतः वादिनी का 1/8 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.10.2012 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और दिनांक 26.11.2012 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा रिपोर्ट पर गौर नहीं किया है । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । राजस्व मण्डल नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.06.2013 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की गई है जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । पटवारी हल्का द्वारा भी अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया, कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही की गई थी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ नयायालय में अपीलांट गोरी लाल के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है और तनकीयात भी कायम की गई है । प्रारम्भिक डिक्री जारी होने से पूर्व अपीलांट गोरी लाल के बयान भी कराये गये हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 26.11.2012 को अंतिम डिक्री जारी की है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया है, सिर्फ वादी की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई है । तहसील से जो बंटवारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसका अवलोकन किया गया । इस बंटवारा रिपोर्ट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर

नहीं है और इसमें यह अंकित है कि वादिनी और उसके पति को बुलाया गया परन्तु प्रतिवादीगण में से किसी को बुलाया गया अथवा नहीं यह अंकित नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त कर बंटवारा रिर्पोट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा